भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5488
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

गोरखपुर में पीएमयूवाई

5488. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कितने परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले हैं;
(ख) उक्त जिलों में उज्ज्वला लाभार्थियों को समय पर रिफिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) जिले में एलपीजी सिलेंडरों की समय पर रिफिलिंग और वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार को गोरखपुर के दूरदराज के क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू करने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) गोरखपुर में महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने में उक्त योजना का क्या प्रभाव होगा; और
(च) गोरखपुर में इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही

जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार गोरखपुर जिले में 2.94 लाख सहित देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित एलपीजी उपभोक्ता समय से एलपीजी रिफिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), व्हाट्सऐप, डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे फोन करके, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओएमसी मोबाइल ऐप्लीकेशन, ओएमसीज वेब पोर्टलों आदि सहित विभिन्न माध्यमों से रिफिल बुक कर सकते हैं। ये विभिन्न विकल्प उपयोगकर्त्ता को एलपीजी की रीफिल की निर्बाध और परेशानी-मुक्त बुकिंग करने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं।

सरकार द्वारा देश भर में गोरखपुर सहित पीएमयूवाई के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयां मुख्यता परिवारों की पहचान करने, दुर्गम भूभाग में होने, एलपीजी की उपयोगिता के बारे में कम जागरूकता होना आदि से संबंधित थीं। ओएमसीज ने देश भर में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 7959 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2024 के दौरान कमीशन किए गए) कमीशन की है जिसमें से 7373 डिस्ट्रीब्यूटरशिप (अर्थात 93%) [रुरबन-1024,ग्रामीण-4974, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी + आरजीजीएलवी) -1375] ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62 प्रतिशत से बढ़कर अब संतृप्ति के निकट है।

ओएमसीज, योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और एलपीजी के उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे के निवारण हेतु नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राजसहायता धनराशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए मनाने हेतु प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन,

जन जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब संतृप्ति के निकट है।

पीएमयूवाई के तहत किसी भी राज्य/यूटी/जिला-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। सरकार, पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस, डीजीसीसी बुकलेट तथा संस्थापन प्रभार के रूप में 1600 रुपए तक का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से यह व्यय प्रति 14.2 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन/ 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन पर बढ़कर 2,200 रुपए तथा 5 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन पर 1,300 रुपए हो गया है।

सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और किफायती बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता मई 2022 में शुरू की। सरकार ने अक्टूबर, 2023 से निर्धारित राजसहायता को प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। भारत सरकार, सभी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलिंडर निर्धारित राजसहायता के बाद 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलिंडरों को प्रति सिलिंडर 503 रुपए प्रभावी मूल्य पर (दिल्ली में) प्रदान कर रही है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों में दिखाई दिया है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खास तौर से महिलाओं तथा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रमुख फायदे संक्षेप में नीचे स्पष्ट किए गए हैं:-

(i) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप खाना बनाने के उन पारंपरिक तरीकों में बदलाव आया है जिनमें लकड़ी, गोबर और फसल अपशिष्टों जैसे ईंधनों को जलाना शामिल था। अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घरों में होने वाला वायु प्रदूषण कम हुआ है जिससे विशेष रूप से उन महिलाओं और बच्चों के

श्वसन संबंधी स्वास्थ्य बेहतर हुआ है जो पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के दौरान धुएं के संपर्क में ज्यादा आते हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों खास तौर से दूर दराज के स्थानों में रह रहे परिवार अपना अधिकांश समय और ऊर्जा पारंपरिक रसोई ईंधन इकट्ठा करने में खर्च करते हैं। एलपीजी से गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा खाना बनाने में होने वाली नीरसता और इसमें लगने वाले समय में कमी आई है। इस प्रकार उन्हें फुरसत का समय उपलब्ध होता है जिसका उपयोग वे आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कर सकती हैं।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल करने से खाना बनाने के प्रयोजनों के लिए लकड़ी तथा अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हुई है जिससे वनों की कटाई तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में कमी आई है। इससे न केवल परिवारों को फायदा मिलता है अपितु व्यापक तौर पर किए जाने वाले पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों में भी इसका योगदान है।

(iv) खाना बनाने की बेहतर सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन बनाने में आसानी प्राप्त होती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा।

इसके अलावा, सरकार द्वारा पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और वहनीयता में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप, पीएमयूवाई लाभार्थियों (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किग्रा. एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के सन्दर्भ में) की प्रति व्यक्ति खपत 3.01 (वि.व.2019-20) से बढ़कर वि.व 2023-24 में 3.95 हो गई है तथा (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) वि.व 2024-25 में 4.43 है।

****